प्रकाशनार्थ अनुमोदित

उच्च न्यायालय बिलासपुर, छत्तीसगढ़

खण्ड पीठ

कोरम :- माननीय श्री राजीव गुप्ता, मुख्य न्यायमूर्ति

एवं माननीय श्री धिरेंद्र मिश्रा न्यायमूर्ति

विविध अपील क्रमांक – 473/ 1998

अपीलार्थीगण :-

दावेदारगण

1. सहरून, उम्र लगभग 23 वर्ष, बेवा- मकबूक अहमद,
2. मोहम्मद मुवीन, उम्र लगभग 7 वर्ष,
3. मोहम्मद अमीन, उम्र लगभग 5 वर्ष,
4. मोहम्मद अलीम, उम्र लगभग 3 वर्ष,

समस्त नाबालिगों के लिए माता श्रीमती सहरून, उम्र लगभग 23 वर्ष, बेवा- मकबूक अहमद |

5. (मृत्यु के कारण माननीय न्यायालय के आदेश से) हटाया गया |
6. श्रीमती सरीफन बी, उम्र लगभग 60 वर्ष, पत्नी विक्रुद्दीन,

सभी दियापीपर , पुलिस थाना- जयसिंह नगर, जिला - शहडोल (म.प्र.) के निवासी

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

विरुद्ध

प्रत्यर्थीगण:-

अनावेदकगण

1. जन्नत उर्फ़ जनरैल सिंह उम्र लगभग 32 वर्ष, पुत्र दिगम्बर सिंह ठाकुर, निवासी-दीनदयाल ताल (निकट) सिंहपुर रोड, जिला-शहडोल(म.प्र.)
2. नरीश सलूजा, उम्र लगभग 38 वर्ष, पुत्र जिन्दल सलूजा, निवासी किरण टाकीज़ रोड, शहडोल (म.प्र.)
3. द न्यू इंडियन इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, 290-सी, नेपियर टाउन, जबलपुर (म.प्र.)
4. तजेंद्र सलूजा, उम्र लगभग 32 वर्ष, जिंदल सलूजा के पुत्र (मालिक) ट्रक क्रमांक - सीआईएल 5425), निवासी

किरण टाकीज रोड, शहडोल (म.प्र.)

5. द न्यू इंडियन इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड शाखा बुरहार

रोड, जिला-शहडोल (म.प्र.)

<u>मोटर वाहन अधिनियम की धारा 173 के तहत विविध अपील</u>

<u>उपस्थित</u>: श्री प्रकाश तिवारी, अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता।

प्रतिवादी क्रमांक 1, 2 और 4 की ओर से कोई नहीं।

श्री एन.के. अग्रवाल, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता तथा प्रतिवादी क्रमांक 3 और 5 के विद्वान अधिवक्ता श्री क्यू. अजीज:

<u>आदेश</u>

(दिनांक 5-3-2008 को पारित)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

न्यायालय का निम्नलिखित आदेश **माननीय श्री राजीव गुप्ता, मुख्य न्यायमूर्ति** द्वारा पारित ।

यह मोटर वाहन अधिनियम की धारा 173 के अन्तर्गत पंचम अतिरिक्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, बिलासपुर (संक्षेप में अधिकरण) द्वारा मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण क्रमांक 8/1996 में पारित निर्णय दिनांक 23-02-1998 के तहत दिए गए मुआवजे में वृद्धि के लिए दावेदारगणो की अपील है।

2. दुर्भाग्यपूर्ण, दावेदारों द्वारा मृतक मकबूल अहमद की विधवा, नाबालिग बच्चे एवं माता-पिता ने दिनांक 27-08-1994 को मोटर दुर्घटना में मृतक की मृत्यु के लिए 11,39,000/- रुपये के मुआवजे का दावा किया, जब उन्हें दुर्घटना कारित करने वाला वाहन - ट्रक पंजीकरण संख्या एमपी-18/6201 ने टक्कर मार दी थी, जिसके परिणामस्वरूप मकबूल अहमद को कई गंभीर चोटें आईं, जिन्होंने अस्पताल ले जाते समय इन चोटों के कारण दम तोड़ दिया। दावेदारगणो ने आगे तर्क दिया कि मृतक मकबूल अहमद ट्रक चालक के रूप में 2,000/- रुपये प्रति माह कमाता था एवं दावेदारगणो के भरण-पोषण हेतु 1,500/- रुपये प्रति माह एवं 18,000/- रुपये प्रति वर्ष योगदान देता था।

3. दुर्घटना कारित करने वाला वाहन - ट्रक के मालिक एवं चालक तथा जिस ट्रक पर मृतक चालक के रूप में कार्य कर रहा था, उसके मालिक ने दावे का विरोध नहीं किया एवं अधिकरण के समक्ष उनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही की गई। दोनों ट्रकों के बीमाकर्ता ने दावे का विरोध किया एवं एक संयुक्त लिखित बयान दायर किया एवं इस आधार पर दावेदारगणो को मुआवजा देने के अपने दायित्व से इनकार कर दिया कि मृतक स्वयं दुर्घटना के लिए जिम्मेदार था। दुर्घटना कारित करने वाला वाहन - ट्रक को बीमा के शर्तों का उल्लंघन करते हुए चलाया जा रहा था एवं दुर्घटना कारित करने वाला वाहन - ट्रक के चालक के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था।

4. दावेदारगणो ने अपने दावे के समर्थन में अ॰सा॰-1 साहरुन, अ॰सा॰-2 विक्रुद्दीन, अ॰सा॰-3 मोहम्मद हनीफ उर्फ गुड्डा एवं अ॰सा॰-4 असगर का परिक्षण कराया, जबकि दोनों ट्रकों के बीमाकर्ता ने खंडन में किसी भी साक्षी का परीक्षण नहीं कराया।

5. अधिकरण ने अपने समक्ष प्रस्तुत साक्ष्यों की गहन जांच के पश्चात यह माना कि मृतक - मकबूल अहमद की मृत्यु दिनांक 27-08-1994 को मोटर दुर्घटना में लगी चोटों के कारण हुई थी; दुर्घटना कारित करने वाला वाहन - ट्रक, जिसका पंजीकरण क्रमांक MP-18/6201 है, के चालक की लापरवाही एवं तेज गति से वाहन चलाने के कारण हुई; चूंकि दुर्घटना कारित करने वाला वाहन - ट्रक, दुर्घटना की तिथि पर न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड द्वारा बीमाकृत था, इसलिए बीमा कंपनी दावेदारगणो को मुआवजा देने के लिए उत्तरदायी थी।

6. अधिकरण ने पाया कि मृतक की आय के संबंध में दावेदारगणो द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य विश्वसनीय नहीं थे। इसलिए, अधिकरण ने अपने अनुमान के आधार पर उसकी आय 1,000/- रुपये प्रति माह निर्धारित की। उसके व्यक्तिगत खर्चों में से 400/- रुपये घटाकर, दावेदारगणो की आश्रितता 600/- रुपये प्रति माह एवं 7,200/- रुपये प्रति वर्ष निर्धारित की गई। 7,200/- रुपये की वार्षिक आश्रितता को 20 के गुणक से गुणा करने पर, मुआवज़ा 1,44,000/- रुपये हो गया। अधिकरण ने अन्य मदों के अंतर्गत अतिरिक्त राशि प्रदान की एवं इस प्रकार मोटर दुर्घटना में मृतक मकबूल अहमद की मृत्यु के लिए दावेदारगणो को कुल 1,79,000/- रुपये मुआवज़े के रूप में प्रदान किए गए। अधिकरण ने दावा याचिका दायर करने की तिथि से वास्तविक भुगतान की तिथि तक 1,79,000/- रुपये की उपरोक्त मुआवजे की राशि पर 12% प्रति वर्ष की दर से ब्याज देने का आदेश दिया।

7. अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता श्री प्रकाश तिवारी ने तर्क दिया कि अधिकरण ने मृतक की आय के बारे में दावेदारगणो के साक्ष्य को स्वीकार न करके एवं उसकी आय का आकलन केवल 1,000/- रुपये प्रति माह करके तथा केवल 1,79,000/- रुपये का कम मुआवजा राशि देकर भूल की है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

8. इसके विपरीत, बीमा कंपनी के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री एन.के. अग्रवाल ने निर्णय का समर्थन किया एवं कहा कि अधिकरण द्वारा दिया गया 1,79,000/- रुपये का मुआवजा राशि वर्तमान मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए न्यायसंगत एवं उचित मुआवजा राशि है।

9. अधिकरण द्वारा अभिलिखित किए गए निष्कर्ष कि मृतक - मकबूल अहमद की मृत्यु दिनांक 27-08-1994 को मोटर दुर्घटना में लगी चोटों के कारण हुई थी; दुर्घटना कारित करने वाला वाहन - ट्रक के चालक की उतावलापन एवं लापरवाही पूर्वक वाहन चलाने के कारण हुई थी; एवं ट्रक का बीमाकर्ता दावेदारगणो को मुआवजा देने के लिए उत्तरदायी था, अब यह अंतिम निर्णय पर पहुँच गया है क्योंकि प्रतिवादियों ने निर्णय के विरुद्ध कोई अपील दायर नहीं की है। इसके अलावा, उपरोक्त तथ्यों को बिना किसी संदेह के स्थापित करने के लिए अभिलेखों में पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध हैं। इसलिए, हम इस संबंध में अधिकरण द्वारा अभिलिखित किए गए निष्कर्षों की पुष्टि करते हैं।

10. मोटर दुर्घटना दावे के मामले में, महत्वपूर्ण बात यह है कि न्यायालय/अधिकरण द्वारा दिया जाने वाला मुआवज़ा मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुसार न्यायसंगत एवं उचित होना चाहिए। यह न तो मुआवज़े की मामूली राशि होनी चाहिए और न ही कोई बड़ी रकम।

11. अब हम इस बात की जांच करेंगे कि क्या अधिकरण द्वारा दिया गया 1,79,000/- रुपये का मुआवजा राशि वर्तमान मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों में न्यायसंगत एवं उचित मुआवजा राशि है।

12. दावेदारगणो ने तर्क दिया कि मृतक मकबूल अहमद ट्रक ड्राइवर के रूप में 2,000/- रुपये प्रति माह कमाता था एवं इसके अतिरिक्त उसे प्रतिदिन 30/- रुपये भत्ता भी मिलता था, किन्तु दावेदारगणो द्वारा इस संबंध में प्रस्तुत साक्ष्य यह था कि मृतक को 4,000/- रुपये प्रति माह वेतन एवं 50/- रुपये प्रतिदिन भत्ता मिलता था। दावेदारगणो के तर्कों एवं साक्ष्यों में मृतक की आय के बारे में उपरोक्त विसंगति को देखते हुए, अधिकरण ने दावेदारगणो द्वारा इस संबंध में प्रस्तुत साक्ष्य को खारिज कर दिया।

13. साक्ष्य की इस स्थिति में, हमें मृतक की आय के बारे में दावेदारगणो के साक्ष्य को खारिज करने के अधिकरण के दृष्टिकोण में कोई दोष नहीं दिखता। फिर भी, वर्तमान मामले में दुर्घटना के वर्ष 1994 में ट्रक चालकों के प्रचलित वेतन ढांचे को देखते हुए अधिकरण द्वारा निर्धारित ₹1,000/- की आय कम है। इसलिए, हम मृतक की ₹2,000/- प्रति माह एवं ₹24,000/- प्रति वर्ष की आय को ध्यान में रखते हुए मुआवजे की पुनर्गणना करने का प्रस्ताव करते हैं।

14. यह ध्यान में रखते हुए कि मृतक को अपने निजी खर्चों के लिए नियोक्ता से प्रतिदिन 30 रुपये का भत्ता मिल रहा था, हम उसके निजी खर्चों के लिए केवल 6,000/- रुपये प्रति वर्ष की राशि काटना उचित समझते हैं। इस प्रकार, दावेदारगणो की आश्रितता 18,000/- रुपये प्रति वर्ष आंकी गई है।

15. दावेदारगणो ने तर्क दिया कि मृतक मकबूल अहमद की आयु लगभग 28 वर्ष थी। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में मृतक की आयु लगभग 26 वर्ष दर्शाई गई थी। अधिकरण ने उसके माता-पिता की आयु एवं पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में उसकी आयु 35 वर्ष दर्शाए जाने के आधार पर मृतक की आयु 40 वर्ष मानी। हमारे अभिमत में, मृतक की आयु निर्धारित करने के लिए उसके माता-पिता की आयु ही एकमात्र मानदंड नहीं हो सकती। मृतक की आयु के बारे में सभी तथ्यों पर विचार करते हुए, हमारा सुविचारित मत है कि मृतक की आयु 25-30 वर्ष के बीच मानी जा सकती है।

16. मृतक एवं दावेदारगणो की आयु को ध्यान में रखते हुए, हमारा मत है कि मामले में 18 का गुणक उपयुक्त होगा।

17. 18,000/- रुपये की वार्षिक आश्रितता को 18 के गुणक से गुणा करने पर, मुआवज़ा 3,24,000/- रुपये होता है। दावेदारगणो को साहचर्य की हानि, संपत्ति की हानि एवं अंतिम संस्कार व्यय के लिए 10,000/- रुपये की राशि भी मिलती है। इस प्रकार, दावेदारगण, मृतक मकबूल अहमद की मोटर दुर्घटना में मृत्यु के लिए कुल 3,34,000/- रुपये का मुआवज़ा पाने के हकदार हो जाते हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

18. दावा याचिका एवं अपील के निराकरण में विलम्ब सहित सभी सुसंगत कारकों पर विचार करते हुए तथा इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि मामले के निराकरण में विलम्ब के लिए अकेले बीमा कंपनी को ही दोषी नहीं ठहराया जा सकता है, हम मुआवजे की बढ़ी हुई राशि पर ब्याज की राशि 45,000/-रुपये निर्धारित करते हैं।

19. उपरोक्त कारणों से, अपीलकर्ताओं द्वारा मुआवज़ा बढ़ाने के लिए दायर अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अधिकरण द्वारा अधिनिर्णय की राशि 1,79,000/- रुपये के मुआवज़े को बढ़ाकर 3,34,000/- रुपये किया जाता है, साथ ही 45,000/- रुपये की अतिरिक्त निर्धारित ब्याज राशि भी दी जाती है।

20. प्रतिवादी क्रमांक 3 - न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, जो कि दुर्घटना कारित करने वाला वाहन - ट्रक का बीमाकर्ता है, को संबंधित दावा अधिकरण के समक्ष 2,00,000/- रुपये (प्रतिकर की बढ़ी हुई राशि के लिए 1,55,000/- रुपये + प्रतिकर की बढ़ी हुई राशि पर ब्याज की मात्रा के लिए 45,000/- रुपये) को सम्बंधित दावा अधिकरण समक्ष के जमा करने के लिए तीन महीने का समय दिया जाता है।

21. वाद व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं ।

सही/-
मुख्य न्यायमूर्ति

सही/-
धिरेंद्र मिश्रा
न्यायाधीश

अस्वीकरणः- हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है, ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नही किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा एवं कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Translated by Shri Prahlad Panda, Advocate.

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur